-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तांबा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 किलो तांबा व घटना में प्रयुक्त बैशाख बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.08.2024 को वादी श्री लोकेश पुत्र श्री पृथ्वी सिंह निवासी गोपाल पुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित बाबत अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में वादी की दुकान की दीवार तोडकर तांबा चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 195/24 धारा 331(4)/305ए बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16/09/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में तांबा चोरी में वांछित **02 अभियुक्तगण 1. रहमान पुत्र जमील निवासी नियर सफिया मस्जिद, पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2. मतीन पुत्र मोमिन निवासी नियर बडी मस्जिद नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को अलसी बाग के पास राधा विहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया माल 08 किलों व घटना में प्रयुक्त बैशाखे के साथ गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बी0एन0एस0 की वृद्धी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम दोनो नशे के आदी है और काफी दिन से हम लोगो को कोई काम भी नही मिल रहा था और हमारी नशे की जरूरते पूरी नही हो पा रही थी तो हम दोनो एक दिन गढी मलूक की पुलिया के पास घूमते हुए बाबा गुलाबदास आश्रम में बनी मोटर रिपेयरिंग की दुकान में देखा कि उसमें तांबा रखा हुआ है तो हम दोनो ने उसी रात को बैशाखे की मदद से दुकान के पीछे की दीवार को तोडकर दुकान में रखा तांबा निकालकर ले गये थे। हम लोगो ने सोचा जब मामला बिल्कुल शान्त हो जायेगा तब इसको बेच देंगे और आज हम लोग तांबा बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रहमान पुत्र जमील निवासी नियर सफिया मस्जिद, पुराना कलसिया रोड, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मतीन पुत्र मोमिन निवासी नियर बडी मस्जिद नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 08 किलो तांबा
- 01 बैशाख (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 122 संजय थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 16.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त प्रताप सिंह पुत्र बीरु निवासी ग्राम माजरी कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 6380/24 धारा 498ए,406 भादवि में ग्राम माजरी कला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रताप सिंह पुत्र बीरु निवासी ग्राम माजरी कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक: 16.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को नोटिस तामील कराकर जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2024 को अभियक्त बिलाल पुत्र अब्बास नि0 मौ0 छत्ता थाना नानौता सहारनपुर के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही करते हुए एडीएम महोदय (प्रशासन) के आदेश के क्रम में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जिला बदर कर लाउड स्पीकर व ढोल बजवाकर मुनादी कराते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील कराया गया। तथा अभियुक्त उपरोक्त को जिला बदर के सम्बन्ध मे पूर्ण हिदायत करते हुए जनपद सहारनपुर की सीमा से थाना क्षेत्र मे मिलने वाली जनपद शामली की सीमा में छोडा गया।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता –

बिलाल पुत्र अब्बास निवासी मौ0 छत्ता थाना नानौता सहारनपुर।

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 15/2019 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना गागलहेडी,सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 421/2018 धारा 395/397/412 भादवि थाना गागलहेडी,सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 42/2018 धारा 395/412 भादवि थाना चिलकाना,सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 04/2019 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना चिलकाना,सहारनपुर।
5. मु0अ0सं01565/2018 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना देवबन्द,सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 34/2019 धारा136/137 विधुत अधिनियम थाना ननौता,सहारनपुर।

नोटिस तामील कराने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 820 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त को चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 15.09.2024 को वादी श्री नीतिन पुत्र श्री सेठपाल निवासी ग्राम नन्यारी थाना बेहट सहारनपुर की लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने की हो जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0- 216/2024 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर/अभियुक्त मनोज पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर को कच्चा पक्का पुल धौलाहेडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित चोरी की मोटरसाईकिल CT-100 रजिस्ट्रेशन सं0 UP11BH3901 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मनोज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने यह मोटर पठेड बस स्टैण्ड म्हाडी के पास से चोरी की थी जिसको मै आज बैचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मनोज पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:16-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 01 नशा तस्कर सद्दाम पुत्र सिन्ना निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम चालाकपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक व एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 - 217/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस के पंजीकृत किया गया। मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ और मेरे पास कोई काम भी नही है। बाहर से सस्ते दामों में यह नशीला सामान खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास के जो लोग नशा करते हैं उनको अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र सिन्ना निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

60 ग्राम स्मैक नाजायाज।

01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 278 तरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में लगातार 11 वर्षों से फरार चल रही 25000/- रूपये की ईनामी महिला अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 368/13 धारा- 302 भादवि में लगातार 11 वर्षों से फरार चल रहे 25,000/- रुपये के ईनामी वांछित अभियुक्ता नफीसा पत्नी फैजान नि0 टपरी कला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को चिलकाना रोड़ हलालपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त नफीसा उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं वर्ष 2013 में अपनी पुत्रवधु शाहिस्ता को जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यू हो गयी थी जिसमें मेरे पति फैजान पुत्र मुनफैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा मैं वहाँ से भाग गयी थी। मैं कई वर्षों से अम्बाला, केरला व अन्य स्थानों पर जगह बदल बदलकर रह रही थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। आज मैं थाना चिलकाना क्षेत्र में अपनी रिस्तेदारी के यहा जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

नफीसा पत्नी फैजान नि0 टपरी कला थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. का0 2388 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. म0का0 2130 राखी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 16.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **साहिल पुत्र युनुस निवासी गप्पन रोड कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1114/22 मु0अ0सं0 216/17 धारा 13जी एक्ट में कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

साहिल पुत्र युनूस निवासी गप्पन रोड कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

दिनांक: 16.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन " अभियान के तहत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 49 मुकदमो में बरामद की गई कुल 454 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 03 लाख 17 हजार रूपये) का कराया गया विनष्टीकरण ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** व माल मुकदमाती माल निस्तारण के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज व उप जिला मजिस्ट्रेट सदर श्री मुकुल सागर व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री राजीव एवं आबकारी निरीक्षक श्री विकास यादव की उपस्थिति में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री गौरव कुमार व हैड मोहर्रिर 980 नीतू कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माल का निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर के आदेश दिनांकित 14.08.2024 के अनुपालन में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक के **आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 49 अभियोगो में बरामद कुल 454 लीटर अवैध शराब को, जिसकी कीमत करीब 03 लाख 17 हजार रूपये** को थाना फतेहपुर परिसर के पीछे खाली स्थान पर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर विनष्टीकरण कराया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

कुल 454 लीटर अवैध शराब

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यो के नाम–

1.श्री मुकुल सागर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सहारनपुर (अध्यक्ष)
2. श्री मनोज कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर (सदस्य)
3. श्री राजीव वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. श्री विकास यादव आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
6. उ0नि0 गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. एचएम 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर